संख्या-611/2017/1149/22-2-2017-17(94)/2016

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 31 जुलाई, 2017***

विषय: जिला कारागार, बहराइच में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी झब्बर सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, निवासी जनपद-बहराइच की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय, कारागार के पत्र संख्या-16430/पर-2/सलाहकार समिति/(एम0 02.05.2017) दिनांक-22.05.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र दिनांक 22.05.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी झब्बर सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, ग्राम-रायगढ बेहडा, थाना-हुजूरपुर, जनपद-बहराइच का निवासी है। पूर्व में हुयी हत्या को लेकर चली आ रही रंजिश के कारण बन्दी ने 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 03.09.1996 को सांय लगभग 06.00 बजे तमन्चा, बन्दूक व कांता से मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-106/1996 में भा0द0वि0 की धारा-147,148,149,302,307,323 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय विशेष/अपर सत्र न्यायाधीश/ई0सी0 एक्ट, बहराइच के आदेश दिनांक 06.12.1999 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09.09.2003 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 22.02.2017 तक 17 वर्ष 10 माह 25 दिन की अपरिहार तथा 22 वर्ष 07 माह 05 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी तथा आयु 82 वर्ष लगभग है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। सलाहकार समिति द्वारा रिहाई के सम्बन्ध में की गयी संस्तुति के संदर्भ में सम्यक विचारोपरान्त सक्षम स्तर पर यह पाया गया कि सिद्धदोष बन्दी जघन्य अपराध में सहअभियुक्त है एवं 03 सह अभियुक्त कारागार में सजा भुगत रहे हैं। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। अत: समय पूर्व रिहाई का औचित्य स्थापित नहीं होता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी झब्बर सिंह (बन्दी संख्या-20/2002) पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, निवासी जनपद-बहराइच की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-611/2017/1149/(1)/22-2-2017 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बहराइच।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, बहराइच।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।